मांगीबाई वि.भारत आदि

17.10.2022

आवेदक सहित श्री निर्मल धाकड अधिवक्ता उपस्थित।

अभिलेखागरर से मूल अभिलेख तलब किये जाने पर प्रस्तुत हुआ।

संबंधित बैंक बी.ओ.आई शाखा भानपुरा से स्टेटमेंट प्रस्तुत हुआ।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत भुगतान में यह उल्लेखित किया गया है कि नेशनल लोक अदालत दिनांक 13.08.2022 को उभयपक्ष आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 2 बीमा कंपनी के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से राशि 1,00,000/में तय होने से अवार्ड रूपये 1,00,000/–का पारित किया गया था। उकत राशि संबंधित बैंक में बीमा कंपनी की ओर से सीधे जमा की जा चुकी है इसलिय जमा की गई अवार्ड राशि आवेदकगण प्राप्त करने के अधिकारी है अतः आवेदिका मांगीबाई को जमा अवार्ड राशि आदेशानुसार देय किये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रस्तुत मूल अभिलेख एवं अवार्ड का अवलोकन किया गया जिससे यह दर्शित होता है कि दिनांक 13.08.2022 को नेशनल लोक अदालत में आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 बीमा कंपनी से आपसी राजीनामा रूपये एक लाख रूपये/–में तय होने से अवार्ड पारित किया गया था।उक्त अवार्ड राशि में से 50 प्रतिशत राशि आवेदक को दिये जाने का आदेश दिया गया है तथा तथा शेष राशि की दो वर्षीय सावधि जमा के रूप में दिये जाने हेतु आदेश दिया गया है। अतः उपरोक्तनुसार आवेदक अवार्ड राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।

बैंक ऑफ इंडिया शाख भानपुरा से स्टेटमेंट प्रस्तुत हुआ है जिसका अवलोकन किया गया अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 7.9.2022 को बीमा कंपनी की ओर से नेप्ट के माध्यम से रूपये एक लाख रूपये /–जमा किये गये है जो इस न्यायलाय के खाते में जमा होना दर्शित होता है। अतः संबंधित राशि आवेदक आदेशानुसार प्राप्त करने के अधिकारी होने से भुगतान हेतु पहचान के संबंध में आधार कार्ड की प्रतियां पेश करने एवं भुगतान रजिस्टर में अपना फोटो चस्पा करने पर किये जाने चेक तैयार कर दिये जावे।

आवेदकगण की पहचान श्री निर्मल धाकड अधिवक्ता द्वारा की गई।

मूल अभिलेख वापस अभिलेखागार में जमा किये जावे।

मांगी